

## The Gazette of India

## **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

945] No. 945

नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2012/वैशाख 31, 1934 NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2012/VAISAKHA 31, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसुचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2012

का.आ. 1148(अ). केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदुद्वारा न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ न्यायपीठ को दिनांक 20-6-2012 से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए नए अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अथवा न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए प्राधिकत करती है।

> [फा. सं. ए-11013/6/2012-एटी] मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC **GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training) **NOTIFICATION** 

New Delhi, the 18th May, 2012

S.O. 1148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby authorises Justice Shri Alok Kumar Singh, Judicial Member, Central Administrative Tribunal, Lucknow Bench to act as Chairman, Central Administrative Tribunal, with effect from 20th June, 2012 until the date on which a new Chairman Appointed in accordance with the provisions of Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) enters upon his office, or the date on which Justice Shri Alok Kumar Singh attains the age of sixty five years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-11013/6/2012-AT]

MANOJ JOSHI, Jt. Secv.